सं0सं0—9/आ0—04—63/2023

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि डा0 विनय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरहरा, मुगेर के पदस्थापन काल मे दिनांक—01.03.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप जैसा कि आरोप पत्र मे अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डा0 कुमार के विरूद्ध अनुबध में वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के सचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के अधीन **डा0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—9, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डा0 कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी समय जैसा कि सचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमे माननीय स्वास्थ्य मंत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति सचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आ0—04—63/2023(स्वा0)................../ पटना, दिनांक :..................

प्रतिलिपिः—आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित डा0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेगे।

ह0/—

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आ0—04—63/2023(स्वा0)................../ पटना, दिनांक :..................

प्रतिलिपिः—आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आ0—04—63/2023(स्वा0) 124(9) **/ पटना, दिनांक :** 07.02.25

प्रतिलिपिः—सिविल सर्जन, मुंगेर/डा0 विनय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरहरा, मुगेर को आरोप—पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सिविल सर्जन, मुगेर से अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

07/02/2025

सरकार के अवर सचिव।